अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

मुरारीलाल पुत्र बहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 20 बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
–वादी–

<u>बनाम</u>

1. ओमसिंह पुत्र हरलालसिंह } जाति राजपूत निवासी बालरासर तंवरान
2. नारायणसिंह पुत्र हरलालसिंह } तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. सन्तोष पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी बारी तहसील फतेहपुर जिला सीकर
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खसोली
5. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–प्रतिवादीगण–

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 08 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रामकिशन शर्मा एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित व श्री मंगलसिंह एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 24 तादादी 3.8318 हैक्टेयर रोही ग्राम बालरासर तंवरान में से वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म भूमि
1.	मुरारीलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बिसाऊ खातेदार राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा चूरू	24 मि.	1.7704	बारानी
2.	ओमसिंह पुत्र हरलालसिंह राहिन 51 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खसोली नारायणसिंह पुत्र हरलालसिंह राहिन 51 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खसोली जाति राजपूत निवासी बालरासर तंवरान व सन्तोष पत्नी मदनसिंह 61 हिस्सा जाति राजपूत निवासी बारी तहसील फतेहपुर खातेदार	24 मि.	2.0614	बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested

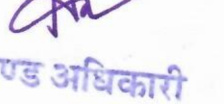

उपखण्ड अधिकारी

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस भविष्य में डिक्री का भाग रहेगा। जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरू डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें एवं नक्शे में तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01 माह अप्रेल सन् 2021 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested

चूरू